

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/अका./2024/215

जबलपुर, दिनांक 21/6/2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर
(जबलपुर, कटनी, डिण्डौरी, मण्डला एवं नरसिंहपुर)

विषय :- महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क की जानकारी बावत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है महाविद्यालय अपने यहाँ संचालित पाठ्यक्रमों की प्रवेश/शिक्षण शुल्क छात्रों से नियमानुसार ही लेवें । जिन पाठ्यक्रमों हेतु (AFRC) द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाता है उनकी प्रवेश/शिक्षण शुल्क का प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग (AFRC) द्वारा निर्धारित/निर्धारण कराकर प्रक्रिया करें । उक्त शुल्कों की जानकारी दिनांक 08/06/2024 तक बेवसाईड पर अनिवार्यतः प्रदर्शित करें । जिससे प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क को लेकर छात्रों में कोई भ्रम की स्थिति न रहें ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार ही प्रवेश/शिक्षण शुल्क लिया जावे । यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त का पालन नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 21/6/2024

पृ० क्रमांक/अका./2024/215
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. कार्यालय कलेक्टर, जिला-जबलपुर।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगढ़, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. प्रभारी आई.क्यू.ए.सी.सेल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।

सहायक कुलसचिव(अका०)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर